



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ.2()परावि/प्रशा.1/वि.अ/संस्था/प्रो.प्रमो/2015/2118 जयपुर,दिनांक:-10.10.2016


—:आदेश:—

निम्नलिखित विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सामने अंकित पंचायत समिति में निम्नानुसार किये जाते हैं:-

| क्र. सं. | अधिकारी का नाम सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती | कहाँ से (पंचायत समिति) | कहाँ को (पंचायत समिति) | विशेष विवरण |
|----------|---|--|------------------------|-------------|
| 1 | नेतराम मीणा | आदेशों की प्रतीक्षा में | नैनवां (बून्दी) | रिक्त पद पर |
| 2 | घनश्याम शर्मा | विकास अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति समाप्त कर सेवायें पैतृक विभाग (शिक्षा) लौटाने सम्बन्धी विभागीय आदेश क्रमांक 1910 दिनांक 8.9.16 को निरस्त कर यथावत | बामनवास (सवाईमाधोपुर) | रिक्त पद पर |

उक्त अधिकारी अविलम्ब अपनी उपस्थिति कार्यग्रहण काल का उपयोग किये बिना नव पदस्थापित स्थान पर प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी। उक्त अधिकारियों को नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा।


यह संक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(राजेन्द्र शेखर मक्कड)
अति. आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान जयपुर।
7. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।

8. संभागीय आयुक्त कोटा।
9. जिला कलेक्टर बून्दी/सवाईमाधोपुर।
10. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बून्दी/सवाईमाधोपुर।
11. विकास अधिकारी पंचायत समिति नैनवा/बामनवास।
12. संबंधित अधिकारी को पालनार्थ।
13. ए.सी.पी. मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
14. आदेश पत्रावली।


(राजेन्द्र शखर मक्कड)
अति. आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव